

(प्रशासन गांवों के संग अभियान- 2021, कैम्प काजली)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी-

सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस

मिसल संख्या:- 593/2021

-:आदेश:-

दिनांक 01-12-21

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं सरपंच ग्राम पंचायत काजली व तहसीलदार बुहाना की अभिशांषा के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम रामबास पटवार मण्डल श्रीवास की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 के खाता संख्या 52 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	रामबास	52	विश्वनाथ पुत्र रामानन्द	रामबास रामविश्वनाथ पुत्र रामानन्द

नोट - रहन यदि कोई हो तो निर्णय/आदेश की पालना रहनमुक्त के पश्चात करे।

(सुनील कुमार चौहान)

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहा.कलक्टर, बुहाना

दिनांक :- 01-12-21

क्रमांक :- राजस्व/2021/ 420-421

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बुहाना को वास्ते पालनार्थ (दो प्रति)

2. प्रार्थी रामविश्वनाथ | रामानन्द जाट ठिवाफी रामबास को सूचनार्थ।



उपखण्ड अधिकारी बुहाना